न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 529 / 2025

श्री किशोर कुमार कडायला, एडवोकेट, वार्ड नं0 11, चूडी चतरपुरा, पो0 चूडी अजीतगढ, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 22.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 529 / 2025 पर दिनांक 08.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 5293—5294 दिनांक 08.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1404 दिनांक 15.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री किशोर कुमार कायला का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2023 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र के कम मे कार्यालय के पत्रांक 1125 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना की प्रमाणित दिलाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 1404 दिनांक 15.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री किशोर कुमार कायला का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2023 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र के कम मे कार्यालय के पत्रांक 1125 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई थी। चूंकि प्रार्थी ने सूचना की प्रमाणित प्रति दिलाने का निवेदन किया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी), झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रति 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं